

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 19.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Rajendra Agrawal** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **416** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	चैतन्य काकरान	श्री हरेन्द्र कुमार MOB- 9412793122	9	डोगरा लाईन्स मेरठ
2	तक्षिल भारद्वाज	श्री सुरेश कुमार त्यागी MOB- 9719428165	8	डोगरा लाईन्स मेरठ
3	दक्ष कुमार सिंह	श्री कन्हैया कुमार सिंह MOB- 8968602432	3	डोगरा लाईन्स मेरठ
4	तनिष	श्री रविन्द्र MOB- 7078853556	5	डोगरा लाईन्स मेरठ
5	तनवी	श्री रविन्द्र MOB- 7078853556	8	डोगरा लाईन्स मेरठ
6	अखण्ड पाण्डेय	श्री सुनील कुमार पाण्डेय MOB- 9410035409	1	डोगरा लाईन्स मेरठ
7	स्वर्णिक त्यागी	श्री अमित त्यागी MOB- 9634000800	7	डोगरा लाईन्स मेरठ
8	शमुण राणा	श्री जयवीर सिंह MOB- 9412668382	6	डोगरा लाईन्स मेरठ
9	निखिल मिश्रा	श्री सुमित मिश्रा MOB- 9760270412	1	बाबूगढ़ कैंट जनपद हापुड़
10	साक्षी	श्री संदीप कुमार MOB- 9690301053	9	बाबूगढ़ कैंट जनपद हापुड़

दिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Rajendra Agrawal माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, AGRA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

